

अधिसूचना  
सं0 11/2015-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015

सा.का.नि. (अ).-- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 21/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 194(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,--

(क) क्रम सं. 14ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“14घ	कोई अध्याय	निम्नलिखित के विनिर्माण में उपयोग के लिए अपेक्षित सभी माल [प्रचलित मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी) के सिवाय] अर्थात् :- (i) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की सा.का.नि. सं. 290(अ), तारीख 2 जून, 1998 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 25/1998-सीमाशुल्क, तारीख 2 जून, 1998 में की सारणी के क्रम सं. 1 से 68 के सामने विनिर्दिष्ट सभी माल ; (ii) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की सा.का.नि. सं. 122(अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 24/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 में की सारणी के क्रम सं. 1 से 38 के सामने विनिर्दिष्ट सभी माल ; (iii) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की सा.का.नि. सं. 123 (अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 25/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1	शून्य
------	---------------	---	-------

		<p>मार्च, 2005 में की सारणी के क्रम सं. 1 से 32 के सामने विनिर्दिष्ट सभी माल ;</p> <p>परंतु इस क्रम सं. के अधीन छूट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की सा.का.नि. सं. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 12/2012-सीमाशुल्क तारीख 17 मार्च, 2012 से उपाबद्ध शर्त सं. 5 के अधीन होगी ।</p>	
14ड	90 या कोई अन्य अध्याय	<p>भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की सा.का.नि. सं. 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 की सारणी के क्रम सं. 488क के सामने विनिर्दिष्ट सभी माल ;</p> <p>परंतु इस क्रम सं. के अधीन छूट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की सा.का.नि. सं. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 12/2012-सीमाशुल्क तारीख 17 मार्च, 2012 से उपाबद्ध सारणी के क्रम सं. 488क के अधीन ऐसे माल की बाबत विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन होगी ।</p>	शून्य
14च	कोई अध्याय	<p>एलईडी प्रकाश और फिक्सचर या एलईडी लैम्प के लिए एलईडी (प्रकाश उत्सर्जक डायोड) ड्राइवर या धा.को.मु.स.बो. (धातु कोर मुद्रित सर्किट बोर्ड) के विनिर्माण में उपयोग के लिए सभी निवेश :</p> <p>परंतु इस क्रम सं. के अधीन छूट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की सा.का.नि. सं. 185(अ) तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 12/2012-सीमाशुल्क तारीख 17 मार्च, 2012 से उपाबद्ध शर्त सं. 5 के अधीन होगी ।</p>	शून्य

(ख) क्रम सं. 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“45क	2710	नैपथा : परंतु आयातकर्ता सीमाशुल्क (उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए रियायती शुल्क दर पर माल का आयात) नियम, 1996 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करता है ।	मूल्यानुसार 2%
45ख	2902 50 00	स्टाइरीन : परंतु यह कि आयातकर्ता सीमाशुल्क (उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए रियायती शुल्क दर पर माल का आयात) नियम, 1996 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करता है ।	मूल्यानुसार 2%
45ग	2903 15 00	एथेलीन डाइक्लोराइड (ईडीसी) : परंतु आयातकर्ता सीमाशुल्क (उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए रियायती शुल्क दर पर माल का आयात) नियम, 1996 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करता है ।	मूल्यानुसार 2%
45घ	2903 21 00	विनाईल क्लोराइड मोनोमर (वीसीएम) : परंतु आयातकर्ता सीमाशुल्क (उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए रियायती शुल्क दर पर माल का आयात) नियम, 1996 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करता है ।	मूल्यानुसार 2%”;

(ग) क्रम सं. 78 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“78क	7204	निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (क) लौह या इस्पात के पिघलने वाला स्क्रैप ; (ख) पिघलने के प्रयोजन के लिए जंगरोधी इस्पात स्क्रैप	2%” ;

(घ) क्रम सं. 79 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
“79क	7404	निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (क) ताम्र स्क्रैप ; (ख) पीतल स्क्रैप	2% ;
79ख	7602	एल्युमिनियम स्क्रैप	2%” ।

(ङ) क्रम सं. 83 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू)

(अक्षय जोशी)

अवर सचिव, भारत सरकार

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना सं० 21/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 194(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 21/2014-सीमाशुल्क, तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 468(अ), तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।